न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :- 31/2020/भीलवाडा (2020/00031)

1. श्री प्रभुसिंह पुत्र बगतावरसिंह राणावत जाति राजपूत निवासी शिवरती तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमति मीना देवी पत्नि नारायण लाल जाति जाट निवासी शिवरती,तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा,मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 02.06.2016 प्रकरण संख्या 11/2015

उपस्थितः-

1. श्री हर दयाल वर्मा, अपीलांट अभिभाषक
2. श्री रामेश्वर लाल जाट,रेस्पोडेन्ट 1
3. राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांकः-12.03.2020

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- यह कि प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा शिवरती,प0ह0 शिवरती,तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 2148 में से 0.66 हैक्टर भूमि श्रीमती मीना देवी पत्नि नारायण लाल जाट निवासी शिवरती को आवंटन सलाहकार समिति कैम्प शिवरती द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में दिनांक 02.12.2010 को आवंटित की गयी । जो कि विधि विरूद्ध होने से अपीलांट ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4)राज0कृ0प्रयो0आवंटन नियम 1971 के तहत पेश किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन बहाल रखा जबकि अपीलांट ने दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य से पूर्णरूपेण साबित कराया है कि आराजी संख्या 2148 सार्वजनिक महत्व की भूमि है तथा इस आराजीयात के चारो

तरफ अन्य काश्तकारान की आराजियात है जिस पर जाने का एकमात्र रास्ता इसी आराजियात में से होकर जाता है तथा आराजी संख्या 2148/2 में अपीलांट ने आज से करीब 20 साल पूर्व गांववालों की मांग पर एक पानी की पौ का निमार्ण कराया जिसको हरदिन अपने कुए से भरता है जहां पर गांव शिवरती व कालाहाण्डा के ग्रामीणों के पशु मवेशी पानी पीते हैं तथा पशु यहां आकर ठहरते है अगर यह भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम रह गयी तो आम ग्रामीणों तथा पशुधन को भी परेशानी होगी । रेस्पोडेन्ट व उसका पति खेती कार्य नहीं करते हैं ना ही कृषक है रेस्पोडेन्ट अपने पति के साथ गुजरात में रहती है तथा वहीं पर अपने पति के व्यवसाय में हाथबंटाती है जिसके कारण वह भूमि आवंटन की पात्रता नहीं रखती, ना ही रेस्पोडेन्ट ने भूमि आवंटन के बाद से अब तक भूमि में काश्त की है सारी भूमि पडत पडी हुई है इस भूमि में बडे बडे गडडे बने हुए है जिसके कारण यह भूमि कृषि योग्य ना होकर खनन योग्य है जिसमें अवैध खनन हो रहा है । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में लालस्याही से रास्ता छोडने की बात कहीी है तथा दूसरी तरफ लालस्याही से आवंटन वाली जगह को बता रखा है तथा राजस्व रेकार्ड में आवंटन आराजी संख्या 2148/1 तथा नक्शे में 2148/2 दर्ज कर रखा है इसका फायदा उठाकर आवंटी सारी भूमि पर अवैध खनन करने पर उतारू है । अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमायी जाकर आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने एंव आवंटन अवैध होने के साथ साथ सार्वजनिक महत्व की भूमि होने से रेस्पोडेन्ट को ग्राम शिवरती की आराजी संख्या 2148 रकबा 0.66 हैक्टर का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे । xx

2- अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत तथा रेस्पोडेन्ट के विद्धान वकील द्वारा प्रकरण में बहस किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्षी बहस सुनी गई । xx

3- सर्वप्रथम मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय करना उचित समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । xx

4- विद्धान अपीलांट अभिभाषक ने मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट बाहर गांव कमाने खाने चला गया था वकील साहब ने कहा कि फैसला होगा तो सूचना दे दूंगा लेकिन वकील साहब ने फेसले की सूचना नहीं दी अभी हाल ही में 20.7.2016 को वकील साहब से मिला तो उन्हौने फैसला हो जाने की जानकारी दी बिना देरी किये फैसले की नकल के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिसपर नकलें दिनांक 16.08.2016 को जारी की गयी इस कारण निर्णय दिनांक 02.06.2016 की नकलें दिनांक 16.08.2016 को मिलने तक का समय क्षम्य योग्य होने से कण्डोन किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर तय किये जाने का निवेदन किया ।xx

5- प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया अपीलांट ने विलम्ब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एंव सद्भाविक प्रतीत होते हैं । मियाद के बिन्दु पर प्रकरण का अंतिम रूप से विनिश्चियन नहीं किया जा सकता अतः हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते हैं । अतः अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6- अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी नम्बर 2148 सार्वजनिक महत्व की भूमि है जिससे आसपास के खातेदारों की आराजी का रास्ता इसी से होकर जाता है एंव आवंटित भूमि पर एक पानी की पौ का निमार्ण कराया हुआ है जहां पर गांव शिवरती व कालाहाण्डा के ग्रामीणों के पशु मवेशी पानी पीते हैं तथा पशु यहां आकर ठहरते है । चूंकि अपीलांट कृषक नहीं है वह अपनी पति के व्यवसाय में साथ देने हेतु गुजरात में रहती है एंव आवंटन से आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कोई काश्त नहीं की गई है एंव भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है जिसके कारण बडे बडे गडडे बन चुके हैं । राजस्व रेकार्ड में खसरा गिरदावरी में आवंटन भूमि को 2148/1 बताया है एवं नक्शे पर 2148/2 अंकित किया गया है जिसके कारण संदेह का फायदा अपीलांट दोनो भूमि पर कब्जा कर उठा सकता है । अतः अपीलांट भूमि के आवंटन की पात्रता नहीं रखता इस स्थिति में अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट को ग्राम शिवरती की आराजी संख्या 2148 रकबा 0.66 हैक्टर का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।xx

7- अपीलांट अभिभाषक द्वारा बहस के समर्थन में मेरा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों 1- RRD 1983 Page 385 2- RRD 2014 Page 212 की ओर आकर्षित करते हुए कथन दिया कि किसी भूमि को सार्वजनिक हित की भूमि पाये जाने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। xx

8- रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस का जबाव देते हुए कथन किया कि ग्राम शिवरती पटवार हल्का द्वारा मौका देखकर एंव सही होने पर ही रेस्पोडेन्ट को आराजी संख्या 2148 में से 0.66 हैक्टर भूमि आवंटित की गई जिसके नये नम्बर 2148/2 कायम किये गये शेष रकबे के नये नम्बर 2148/1 कायम किये गये । रेस्पोडेन्ट भूमिहीन काश्तकार है जिसके नाम कोई पूर्व में राजस्व भूमि नहीं है पति के नाम भूमि है जिसका उल्लेख पटवार हल्का ही रिपोर्ट में किया हुआ है एंव रास्ते की भूमि को छोडकर ही रेस्पोडेन्ट को भूमि आंवटित की गई है अपीलांट जिस रास्ते का उल्लेख कर रहा है वह आराजी संख्या 2148/1 में है एंव आवंटित भूमि में कोई रास्ता नहीं है ना ही आवंटित आराजी से लगी हुई प्रार्थी एवं भाईयों या किसी भी खातेदार की कोई भूमि स्थित है इस आवंटित भूमि आराजी के चारो तरफ बिलानाम भूमि है कोई भी व्यक्ति बिलानाम भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग कर अपनी आराजीयात पर काश्त हेतु आ जा सकता है । अपीलांट द्वारा गलत कथन दिया गया है कि गांव के मवेशी के चरने की भूमि अथवा उसका कब्जा है । रेस्पोडेन्ट किसान है

एंव जीविकोपार्जन कृषि पर ही निर्भर है एंव रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर दिनांक 02.12.2010 को भूमि आवंटन पत्रावली संख्या 27/2010 कायम कर नियमानुसार दिनांक 02.12.2010 को भूमि आवंटन किया गया है जिसे राजनैतिक दबाव से कोई आवंटन नहीं किया गया है । भूमि आवंटन के बाद आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गंगापुर ने आदेश कमांक राजस्व/आवंटन/2010/139-140 दिनांक 08.12.2010 द्वारा पटवार हल्का ने शिवरती को आवंटित आराजी का कब्जा मौके पर सुपुर्द किया जिसकी फीस भी 05रूपये जमा कराये गये तत्पश्चात् पट्टा जारी हुआ। रेस्पोडेन्ट ने रूपया पैसा एंव श्रम खर्च कर भूमि को काश्त योग्य बनाया है एंव आवंटित भूमि पर काश्त की है एवं अपीलांट के पति गुजरात में नहीं रह कर शिवरती में निवास करते है एंव आवंटित आराजी और ग्राम शिवरती की आबादी के बीच काफी भूमि स्थित है आबादी बढने पर अन्य भूमि ली जा सकती है । लगान वसूल करने का अधिकार राज्य सरकार को है इसके लिए रेस्पोडेन्ट उजर नहीं उठा सकता । अतः अपील खारिज फरमाई जावे ।

9- हमने विद्वान अभिभाषक की उभयपक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सुना व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का मनन व गहनता से अवलोकन किया । प्रकरण हाजा में प्रस्तुत दस्तावेज एंव फोटो से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 2148 सार्वजनिक महत्व की भूमि है जिससे आसपास के खातेदारों की आराजी का रास्ता इसी से होकर जाता है किन्तु कुछ प्रश्न का अनुत्तरित है जिसके बारे में जांच होनी आवश्यक है क्या आवंटित भूमि पर एक पानी की पौ का निमार्ण कराया हुआ है जहां पर गांव शिवरती व कालाहाण्डा के ग्रामीणों के पशु मवेशी पानी पीते हैं तथा पशु यहां आकर ठहरते है एंव इसी आराजी के एक भाग/इसी आराजी को रेस्पोडेन्ट को आवंटित किया गया है ? भू आवंटन के प्रार्थना पत्र व उस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया के पति के नाम संचित 0.48 हैक्टर भूमि व असिंचित 1.03 हैक्टर कुल 1.51 हैक्टर व रेस्पोडेन्ट के पति के नाम दर्ज प्रमाणित पाई गई है तो इससे प्रश्न अवतरित होता है कि क्या रेस्पोडेन्ट भूमिहीन है एंव क्या भूमि आवंटन की पात्रता रखती है ? क्या आवंटित भूमि पर काश्त कर रही है जबकि रेकार्ड में पडत अंकित है ? क्या स्पोडेन्ट को आवंटित भूमि को जमाबंदी में 2148/2 किन्तु नक्शे में 2148 गलत दर्ज किया गया है? क्या आवंटित भूमि से अन्य खातेदारान का रास्ता निकलता है ? उक्त सभी तथ्यों का पुनः विवेचन एंव मौका रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक है ताकि न्यायसंगत निर्णय दिया जा सके इस स्थिति में हम विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 02.06.2016 में विधिक त्रुटि प्रतीत होती है अतः उपरोक्त विचेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.06.2016 अपास्त होकर इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किये जाने योग्य पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय निम्नांकित बिन्दुओं पर मौके की जांच स्थिति व साक्ष्य लिया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर न्यायसंगत रूप से अवधारणा करें -

1.क्या आवंटित भूमि में रास्ता है ।
2.क्या आवंटित भूमि पर मवेशियों के पानी पीने एवं ठहरने का स्थान है एंव पौ बनी हुई है जैसा कि फोटो में दर्शित है ।
3.क्या रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त की जा रही है अथवा पडत या बंजड है ।
4.क्या आवंटित भूमि से अवैध खनन किया जा रहा है ।
5.भू आवंटन के प्रार्थना पत्र व उस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया के पति के नाम संचित 0.48 हैक्टर भूमि व असिंचित 1.03 हैक्टर कुल 1.51 हैक्टर भूमि है । यदि रेस्पोडेन्ट 1 के पति के नाम कृषि भूमि पटवार हल्का रिपोर्ट अनुसार सही है तो क्या रेस्पोडेन्ट नियमानुसार भूमिहीन है ।
6.आवंटित भूमि का खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) सम्वत् 2070 में खसरा नम्बर 2148/1 अंकित है जबकि राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 2148/2 अंकित है,सही क्या है ? xx

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 31/2020 (2020/00031) बउनवानी प्रभुसिंह बनाम मीनादेवी व अन्य को आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2015 बउनवान प्रभुसिंह बनाम मीनादेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के पैरा 9 में वर्णित बिन्दुओं पर पूर्ण जांच पडताल उपरान्त उभयपक्षों को सुना जाकर व मौका जांच के आधार पर विधिसंगत निस्तारण के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.30 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: